


राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 1214

जयपुर, दिनांक:- 01/02/2018

विज्ञप्ति

सूचित किया जाता है कि गंगानगर-जोडकिया अधिसूचित मार्ग के परमिट धारको द्वारा उनके मूल अनुज्ञापत्र में जोडकिया से 28 पीबीएन हेड तक के मार्ग भाग का वृद्धिकरण हेतु आवेदन परिचलन पत्र के माध्यम से विचारण हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित करवाये है। इस वृद्धिकरण के विरुद्ध कतिपय ऑपरेटर्स द्वारा आपत्तिया प्रस्तुत की है। प्राप्त आपत्तियों पर सुनवायी किया जाना वांछनीय है। अतः आपत्तियों पर सुनवायी हेतु संबंधित पक्षकार दिनांक. 08.02.2018 को प्रातः 11:00 बजे परिवहन आयुक्त, कार्यालय के भूतल पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आपत्तिकर्ता स्वयं या उनका प्रतिलिपि उपस्थित हों।


(आर.सी. यादव)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार